हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

विजयसिंह वगै० बनाम दीपक सोलंकी वगै०

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। वकील वादीगण ने नामान्तकरण प्रपत्र (प–21) तहसीलदार द्वार संशोधित दिनांक 06.03.2022 पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वादग्रस्त आराजी में बटवारा व गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। जिसका इंतकाल तहसीलदार अलवर द्वारा 11.02.2022 को स्वीकृत किया जा चुका है। वाद में अब कोई कार्यवाही नही चाहते है। इसी स्तर पर वाद वादीगण खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। वादीगण द्वारा, मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 0.45 है०, 134 रकबा 0.05 है०, 140/331 रकबा 0.03 है०, 3/340 रकबा 5.52 है०, 40 रकबा 0.07 है०, 41 रकबा 0.04 है०, 6 रकबा 0.22 है०, 8/313 रकबा 0.05 है०, 9/314 रकबा 0.04 है०, कुल किता 9 रकबा 6.47 है० वाके ग्राम धवाला तहसील अलवर के क्रम संख्या–03 पर वादीगण के पिता रघुवीर सिंह पुत्र लालसिंह हिस्सा 10/51 साकिन देह गैर खातेदार अंकित है को तकसीम कराकर गैर ख़ातेदारी प्राप्त करने बाबत इस्तदुआ की गई है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण प्रपत्र (प–21) तहसीलदार द्वार संशोधित दिनांक 06.03.2022 के अनुसार वादीगण द्वारा चाही गई इस्तदुआ पूर्ण हो चुकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है। अतः वाद में कोई कार्यवाही शेष नही होने के कारण वादी वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। सहायक कलक्टर अलवर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए